राजभाषा

संगठन

रेल पहिया कारखाना में अगस्त 1984 में एक राजभाषा सहायक की नियुक्ति के साथ राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई थी । इस प्रशासन में राजभाषा कार्यान्वयन के सभी कार्य मुख्य राजभाषा अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होते हैं । वर्तमान में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग निम्नप्रकार है।

क्र.सं.	कोटि	संस्वीकृत	वास्तविक
1	राजपत्रित	01	01
2	अराजपत्रित	05	03
कुल		06	04

मुख्य कार्य

इस अनुभाग के मुख्य कार्य है - अनुवाद , हिंदी भाषा , टंकण व हिंदी आशुलिपि में सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था और भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ।

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां

1. भाषा प्रशिक्षण -

रेपका में भाषा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अधीन नियमित कक्षाएं चलाई जाती हैं । रेपका में 80 प्रतिशत कर्मचारी प्रशिक्षित है और प्रशिक्षण के लिए शेष 164कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्य येाजना बनाई है,जिसके अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

2. धारा 3(3)का अनुपालन -

धारा 3(3)का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम मानक प्रकार के आदेशों के द्विभाषी टेंप्लेट्स का प्रयोग, ऑन-लाईन अनुवाद की व्यवस्था और प्रोत्साहन के माध्यम से धारा 3(3) का निर्धारित लक्ष्य हासिल करते हैं ।

3. हिंदी में मूल पत्राचार -

दैनिक प्रयोग में लाए जाने वाले मानक प्रकार के पत्र , प्रपत्र ,कवरिंग लेटर व रिपोर्टें आदि के द्विभाषी टेंप्लेट्स के प्रयोग के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है, इस प्रकार और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं ।

4.हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना -

हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में और पत्र की पावती हिंदी / द्विभाषी में देकर लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं ।

5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन -

त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से महाप्रबंधक की अध्यक्षता में की जाती हैं । बैठकों में सभी विभागाध्यक्ष भाग लेते हैं और रेलवे बोर्ड द्वारा नामित माननीय हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों को भी प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाता है ।

रा.भा.का.स. बैठक को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक, श्री. ओ.पी.अग्रवाल

6. हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन –

हिंदी के अर्जित ज्ञान को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को कार्यशालाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है । उच्चाधिकारियों के लिए अलग तौर पर लघु कार्यशाला का आयोजन किया जाता है,जिसमें राजभाषा नियमों/ नीति की अद्यतन जानकारी के साथ -साथ अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले आदेशों का हिंदी में अभ्यास कराया जाता है ।

7. तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन –

रेपका में तकनीकी संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है । हाल ही में ' डीज़ल लोको ' विषय पर उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/ डब्ल्यू एस एम द्वारा हिंदी में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से तकनीकी व्याख्यान प्रस्तुत किया गया ।

8. राजभाषा निरीक्षण –

रेपका में राजभाषा कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी विभागावार निरीक्षण करते हैं । इसके अलावा संबंधित विभागाध्यक्ष भी अपने कार्यालय का निरीक्षण करते हैं ।

9. प्रोत्साहन योजनाएं -

हिंदी में काम करने के लिए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) और रेल मंत्रालय की सभी योजनाएं रेपका में लागू हैं । वर्ष के दौरान 71 कर्मचारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं ।

10. बहुभाषा कवि गोष्ठि का आयोजन –

रेपका में अभिनव प्रयोग के तौर पर हिंदी भाषा के साथ – साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी तरजीह देते हुए बहुभाषा कवि गोष्ठि का आयेाजन किया जाता है । कवि गोष्ठि में रेपका में कार्यरत अधिकारी/कमर्चारी बढ़चढ़कर भाग लेते हैं और उन्हें अपनी मातृभाषाओं में स्वरचित कविता पाठ करने का मंच प्रदान किया जाता है । प्रोत्साहन के तौरपर कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाता है ।

बहुभाषा कवि गोष्ठी में अध्यक्षता करते हुए महाप्रबंधक,
श्री. ओ.पी.अग्रवाल

11.रेपका में कंप्यूटर के माध्यम से राजभाषा का प्रयोग -प्रसार –

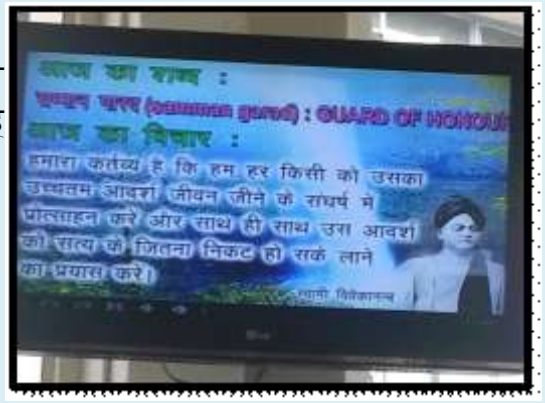

हिंदी में काम सरल और आसान बनाने के उद्देश्य से लैन नोड़ से जुडे सभी कंप्यूटरों में निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध करायी गई है ताकि कर्मचारी आसानी से हिंदी में काम कर सके -

1. हिंदी शब्दावली की व्यवस्था।
2. नेमी टिप्पणियों की लघु पुस्तिका।
3. अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले आदेशों के नमूने।
4. छुट्टी व दौरा कार्यक्रम के नमूने।
5. पुस्तकालय में उपलब्ध हिंदी पुस्तकों की सूची।
6. ऑन लाइन हिंदी अनुवाद की व्यवस्था।
7. प्रवेश द्वार पर Electronics display Board जिस पर प्रतिदिन हिंदी का एक शब्द और उसका अंग्रेजी पर्याय एव हिंदी सूक्ति का प्रदर्शन।

8. चार्ट के रूप में राजभाषा नियमों की संक्षिप्त जानकारी ।
9. हिंदी भाषियों के लिए क्षेत्रीय भाषा की जानकारी हेतु हिंदी -कन्नड़ वार्तालाप पुस्तिका।
10. लेन नोड़ पर प्रतिदिन हिंदी की एक सूक्ति का प्रावधान।

12. प्रकाशन –

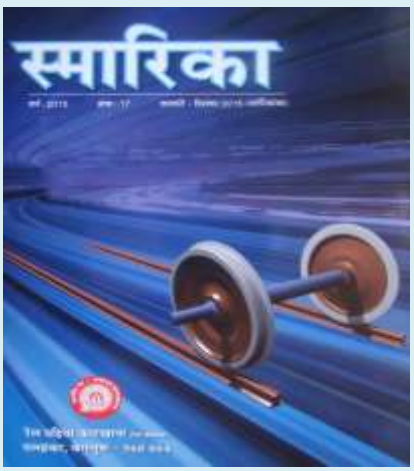

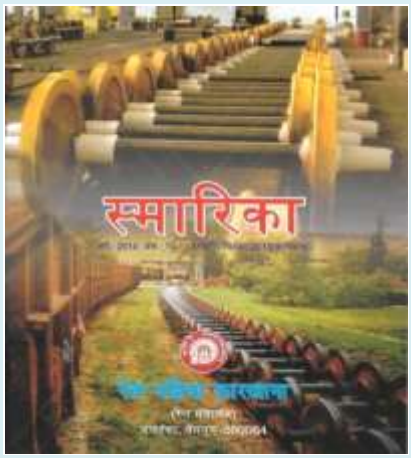

रेपका के हिंदी/हिंदीतर कर्मचारियों की लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पत्रिका ' स्मारिका ' प्रकाशित की जाती है जिसमें हिंदी में लेख ,कविताएं एवं क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ के कुछ लेख भी प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा रेपका न्यूज़ लेटर ' मंथना ' और ' सतर्कता बुलेटिन ' में राजभाषा हिंदी को भी स्थान दिया जाता है।

13. सहायक साहित्य का प्रकाशन –

दैनिक प्रयोग में लाए जाने वाले मानक प्रकार के पत्रों , प्रपत्रों व रिपोर्टों के द्विभाषी टेंप्लेट्स बनाकर विभागावार उपलब्ध कराए गए हैं,जिसका कर्मचारीगण उपयोग कर रहे हैं। परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि हुई है।

<u>अनुभाग द्वारा प्रकाशित कुछ सहायक साहित्य</u>

14.पुरस्कार एवं सम्मान –

I). रेलवे बोर्ड द्वारा- राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु रेल पहिया कारखाना को वर्ष 2000 से निरंतर रेल मंत्री राजभाषा शील्ड व ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता रहा है। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने रेल मंत्री राजभाषा ट्रॉफी से सम्मनित किया है।

रेल मंत्री राजभाषा ट्रॉफी(प्रथम पुरस्कार)-आधार वर्ष 2008

रेल मंत्री राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार) -आधार वर्ष 2009-10

रेल मंत्री राजभाषा ट्रॉफी(द्वितीय पुरस्कार) -आधार वर्ष 2011

रेल मंत्री राजभाषा ट्रॉफी(द्वितीय पुरस्कार) -आधार वर्ष 2012

रेल मंत्री राजभाषा शील्ड(प्रथम पुरस्कार) -आधार वर्ष 2013

रेल मंत्री राजभाषा ट्रॉफी(द्वितीय पुरस्कार) -आधार वर्ष 2014

ii).नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बेंगलूरु द्वारा -राजभाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कई पुरस्कार व प्रमाण पत्रों से रेपका को नवाजा गया है । हाल ही में नराकास / बेंगलूरू द्वारा रेपका की हिंदी गृह पत्रिका ' स्मारिका' को उत्तम गृह पत्रिका के रूप में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

नरकास /बेंगलूरू से प्राप्त शील्ड व प्रमाण पत्र

15.हिंदी सप्ताह समारोह – रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार रेपका में राजभाषा के प्रयोग-प्रसार की दृष्टि से हिंदी सप्ताह का आयोजन किया जाता है । सभी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभागावार हिंदी में 15 प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।

हिंदी सप्ताह समारोह का उदघाटन करने हुए महाप्रबंधक/रेपका

सप्ताह के दौरान आयोजित राजभाषा प्रदर्शनी में सभी विभागों द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया जाता है और इसी अवसर पर गृह मंत्री व रेल मंत्री के हिंदी दिवस संदेश भी पढ़े जाते हैं।

राजभाषा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए
महाप्रबंधक एवं विभागाध्क्ष

समापन समारोह के दौरान महाप्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है।

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर को अंतर विभागीय राजभाषा चल-शील्ड प्रदान करते हुए महाप्रबंधक/रेपका

******

राजभाषा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी

भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिंदी बोले और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर देश के राज्यों को चिह्नित कर तीन क्षेत्रों में बांटा गया विवरण इस प्रकार हैं।

'क' क्षेत्र – उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीस्गढ़, झारखंड, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ।

'ख' क्षेत्र – गुजरात, महाराष्ट्र, प्रजाब, चंडीगढ़ और दमण एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली।

'ग' क्षेत्र – शेष अन्य राज्य और संघ शासित क्षेत्र

– (राजभाषा नियम 1976 का नियम-2)

- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं :

1. असमिया	2. उड़िया	3.उर्दू	4.कन्नड़	5. कश्मीरी
6. गुजराती	7. तमिल	8. तेलुगु	9. पंजाबी	10.बंगला
11. मराती	12. मलयालम	13.संस्कृत	14. सिन्धी	15. हिंदी
16. कोंकणी	17. नेपाली	18. मणिपुरी	19.बोडो	20. डोगरी
21. मैथिली	22. संथाली			

- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज :

1. सामान्य आदेश	2. संकल्प	3.नियम	4.अधिसूचनाएं
5. प्रेस विज्ञप्तियां	6. करार	7. परमिट	8. लाइसेंस
9. निविदा सूचना	10. निविदा फार्म	11. संविदा	12.सरकारी कागज़पत्र
13. प्रशासनिक रिपोर्टें	14. संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले कागज़ात		

उपरोक्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी हो और हस्ताक्षरकर्ता की जिम्मेवारी है कि इसे सुनिश्चित करे।

- हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है ।

  – (राजभाषा नियम 1976 का नियम – 5)

- भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है ।

  – (संविधान का अनुच्छेद 343)

- हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विकास की जिम्मेदारी संघ के ऊपर है ।

  – (संविधान का अनुच्छेद 351)

- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज द्विभाषी में जारी करने की जिम्मेदारी हस्ताक्षार-कर्ता अधिकारी की है।

– (राजभाषा नियम 1976 का नियम-6)

- कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है।

– (राजभाषा नियम 1976 का नियम-7)

- हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी हिंदी के किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो, अन्यथा नहीं।

– (राजभाषा नियम 1976 का नियम-8(2))

- कार्यालय के प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष, रबर की मुहरें, फाइल/रजिस्टर कवरों पर विषय और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री मदें हिंदी और अंग्रेजी में होगी।

– (राजभाषा नियम 1976 का नियम-11)

- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (4) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में किया गया था। इसकी तीन उप समितियां है, जिनमें से दूसरी उप-समिति रेलवे का निरीक्षण करती है। समिति के कुल 30 सदस्य है, जिनमें 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से सांसद होते हैं।

****

रेल पहिया कारखाना में लागू पुरस्कार/प्रोत्साहन योजनाएं :

- हिंदी भाषा, हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं पास करने पर नकद पुरस्कार तथा वैयक्तिक वेतन ।
- हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को पुरस्कार ।
- मूल रूप से हिंदी टिप्पण आलेखन(हिंदी में 10,000 शब्द लिखने के लिए) पुरस्कार ।
- विभाग द्वारा हिंदी में सर्वाधिक कार्य हेतु सामूहिक नकद पुरस्कार योजना ।
- लालबहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना (तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए)।
- प्रेमचन्द पुरस्कार योजना (हिंदी में कहानी संग्रह, उपन्यास लेखन के लिए)।
- मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना (काव्य, ग़ज़ल संग्रह के लिए)।
- हिंदी में बेहतर निष्पादन के लिए वरि.प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक।
- राजभाषा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना ।
- हिंदी गृह पत्रिका में लेख,कहानी,कविता एवं कार्टून देने के लिए पारिश्रमिक प्रदान करना ।
- हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग को अंतर विभागीय राजभाषा चल शील्ड़ प्रदान करना।
- अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में टंकण कार्य करने पर विशेष भत्ता योजना ।
- हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं - क्षेत्रीय व अखिल भारतीय स्तर पर ।
- रेल मंत्री निबंध लेखन प्रतियोगिता - रेलवे बोर्ड स्तर पर ।
- रेल यात्रा वृतांत प्रतियोगिता - रेलवे बोर्ड स्तर पर ।

****

हिंदी में सरकारी काम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य – 'ग' क्षेत्र के लिए

क्र.स.	मुख्य मदें	निर्धारित लक्ष्य
1.	धारा 3(3) के अतंर्गत आने वाले दस्तावेज	100% द्विभाषी
2.	हिंदी में मूल पत्राचार करना	55% द्विभाषी
3.	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना	100% हिंदी/द्विभाषी
4.	हिंदी भाषा,हिंदी टाइपिंग, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण देना	100% अनिवार्य
5.	हिंदी में नोटिंग लिखने के लिए	30% हिंदी/द्विभाषी
6.	पुस्तकालय की कुल अनुदान में से हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय करना	50% (राशि)
7.	कंप्यूटर सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद	100% द्विभाषी
8.	प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100% द्विभाषी
9.	कार्यालय की वेबसाइट	100% द्विभाषी
10.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन	वर्ष में 4 बैठकें
11.	संपूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु अनुभागों को विर्निदष्ट करना	20%
12.	सभी कार्यालयीन बैनर,निमंत्रण पत्र,विजटिंग कार्ड तैयार करना	100% द्विभाषी
13.	विभागीय बैठकों की कार्यसूची/कार्यावृत्त तैयार करना	100% द्विभाषी
14.	नाम पट्ट, सूचना पट्ट व पदधारी बोर्ड को बनाना	100% द्विभाषी
15.	जनता के संपर्क में आनेवाले बोर्ड प्रदर्शित करना	100% त्रिभाषी
16.	रबड़ मुहरें (डिगलॉट फोर्म)	100% द्विभाषी
17.	मुद्रित लेखन सामग्री (फाइलों, रजिस्टर, लिफाफा व मानक प्रकार के फार्म)	100% द्विभाषी
18.	विभागीय परीक्षाओ के प्रश्न-पत्र	100% द्विभाषी
19.	टेलीफोन निर्देशिका तैयार करना	100% द्विभाषी
20.	विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा संबंधी प्रश्न	100% अनिवार्य

****